


रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33004/95

1995 REGD. NO. D.L.—33004/95



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

64] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 1995/कार्तिक 10, 1917
64] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1995/KARTIKA 10, 1917

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1995

आवास वित्त कंपनियों (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 1989

अधिसूचना एन एच बी/एच एफ सी/डी आई आर 7/सी एम डी/95.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30 और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवास बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनियों (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 1989 को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्:—

1. पैराग्राफ 9

(i) "जुलाई 5, 1993" शब्दों तथा अंकों को "नवम्बर 1, 1995" शब्दों एवं अंकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) पैराग्राफ 9 के खण्ड (क) में शब्द "चौदह" को शब्द "पन्द्रह" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. पैराग्राफ 15
पैराग्राफ 15 में, "बम्बई" शब्द को "नई दिल्ली" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. पैराग्राफ 16
पैराग्राफ 16(2) में, "बम्बई" शब्द को "नई दिल्ली" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. अनुसूची एच एफ सी. डी. आर्. आर-1
अनुसूची के एच एफ सी आर्. डी. आर्. आर-1 में "बम्बई" शब्द को हटा दिया जाएगा।
वाई. पी. रेड्डी, अध्यक्ष

NATIONAL HOUSING BANK
(Wholly owned by Reserve Bank of India)
New, Delhi, the 1st November, 1995

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 1989

NOTIFICATION NO. NHB/HFC/DIR. 7/CMD-95: — In exercise of the powers conferred by Sections 30 and 31 of the National Housing Bank Act, 1988 (53 of 1987) and of all powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions 1989, shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely:—

- (1) Paragraph 9
- (i) For the words and figures "July 5, 1993" the words and figures "November 1, 1995" shall be substituted.
 - (ii) In clause (a) of paragraph 9 for the word "fourteen" the word "three" shall be substituted.
- (2) Paragraph 15.
In paragraph 15, the word "Bombay" shall be substituted by "New Delhi".
- (3) Paragraph 16.
In paragraph 16(2) the word "Bombay" shall be substituted by "New Delhi".
- (4) Schedule HFC. DIR-I
In the title of Schedule HFC. DIR-I, the word "Bombay" shall be deleted.

Y.V. REDDY, Chairman